



अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा धारा 82 द0 प्र0 सं0

मेरे समक्ष परिवार किया गया है कि श्री अभि साजिद खाँ

पुत्र शाकिर खाँ निवासी चन्द्रौबा थाना वीनावर

जिला बख़ावत ने शां0 चं0 की धारा 0/21/27A/29 अ0 सं0 १०

थाना धाकानी NCB जिला बाराबंकी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया

है/या सन्देह है कि उसने किया है और उस जारी किये गये गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त.....

अभि साजिद खाँ श. शाकिर खाँ मिल नहीं रहा है ओर मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित

कर दिया गया है कि उक्त अभि साजिद खाँ श. शाकिर खाँ फरार हो गया है या उक्त वारण्ट की

तामीली से बचने के लिये अपने आपको छिपा रखा है।

इसलिये इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि S.S.T. No - 901112, भारत संख 10 साजिद खाँ शाकिर

के उक्त अभि साजिद खाँ श. शाकिर खाँ से अपेक्षा की जाती है कि यह इस न्यायालय

के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवार का उत्तर देने के लिये स्था - अपर सत्र न्यायाधीश न्या. सं. 2 बाराबंकी

स्थान में तारीख 2-1-2020 को हाजिर हों।

अपर सत्र न्यायाधीश
कोट-2, बाराबंकी



हरतार

CH0 Banlu
05/11/19

अपर जिला ए/सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या-2 बाराबंकी

Supdt(A)
IO(L)

Supdt(A) IO(L)
421

Sh. A. K. O. S. O.



इकम चक
12/12/19

चक्रम
12/12/19